IN THE HIGH COURT OF UTTARANCAL AT NAINIAL

WRIT PETITION NO.47 (MS) OF 2004

1. Raj Kumar, S/o Shri Bishambhar Singh,
   R/o Village-Bhagatpur, Post-Brahampur,
   District-Haridwar.
2. Smt. Rajesh Kumari, W/o Shri Dhir Singh,
   R/o Village-Alawalpur, Post-Bhikampur,
   District-Haridwar. .....Petitioners.

Versus

1. State of Uttaranchal, through Secretary Secondary Education, Dehradun, District-Dehradun.
2. Principal, District Education and Training Institute Roorkee, District-Haridwar. .....Respondents.

Dated: 19.06.2006

Hon'ble Rajesh Tandon, J.

Heard Sri Lok Pal Singh, Advocate for the petitioners and Standing Counsel for the respondents.

2. By the present writ petition, the petitioner has prayed for a writ of mandamus commanding the respondents to consider the application of the petitioner for special B.T.C. training.

3. At the time of admission of the writ petition on 28.01.2004, following interim order was passed:-

"heard learned counsel for the petitioner and learned Standing counsel. The learned C.S.C. has

accepted notices on behalf of respondent Nos. 1 and 2. The respondents may file counter affidavit within four weeks. List thereafter.

In the meantime, the respondents shall consider the case of the petitioner provisionally for special B.T.C. training."

4. Thereafter on 15.02.2005 following order was passed:-

"Heard learned counsel for the parties.

Petitioners are permitted to implead Uttaranchal Shiksha Parishad Ram Nagar, Nainital as respondent during the course of the day.

By order-dated 28.01.2004, this court directed respondents to consider the candidature of the petitioners for special BTC. In pursuance to that order petitioners were permitted to undergo the training and now, they have completed the training and now, they have completed the training of Special BTC.

Learned counsel for the petitioners has submitted that result of the Special BTC Training Examination has been declared on 25.01.2005 but the result of the petitioner has not been declared.

Since the petitioner has already completed the training, respondents are directed to declare the result of the petitioners, provisionally, provided petitioners have completed their training successfully and if they are selected for appointment to the post of Assistant Teacher in Primary School shall be subject to the decision of the writ petition.

Application disposed of accordingly.

List the matter in the first week of March, 2005 along with Writ Petition No. 708 (SB) of 2002.

5. As will appear from the aforesaid two orders passed in the present writ petition, the petitioner was allowed to complete to special B.T.C. training and the result has been declared on 25.01.2005 and thereafter, the result of the petitioner was also declared and he was allowed to complete the training provisionally and at present he is working as Assistant Teacher in Primary School.

6. Briefly stated, according to the case of the petitioners, they have passed B.Ed. Examination from Maharshi Dayanand University Rohtak and Kurukshetra University (Haryana) and both are permanent resident of Uttaranchal State.

7. Petitioner no. 2 has submitted that he is not pressing the writ petition, hence this writ petition is confined to the relief in respect of Raj Kumar/petitioner no.1.

8. In pursuance of the advertisement No.8/2001, the eligibility criteria is to be following effect:-

''अनिवार्य योग्यताएं–

1. शैक्षिक – विधि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

2- प्रशिक्षणः– इस हेतु उत्तरांचल/उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संस्थागत परीक्षार्थीयों के रूप में बी0एड0/एल0टी0 अथवा पत्राचार के माध्यम से बी0एड0 हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एड0 उत्तीर्ण किया गया हो। जिन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय से शिक्षा शस्त्री की उपाधि ली हो एवं शिक्षा शास्त्री की परीक्षा संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो वे भी अर्ह होंगे। उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थाओं जो राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता

प्राप्त हो, से शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण यथा बी0पी0एड, डी0पी0एड0, सी0पी0एड0 अभ्यार्थी भी अर्ह समझे जाएंगे। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्य की गई अवधि (वर्ष 1997) तक के मान्य की गई संस्थाओं से उत्तीर्ण संस्थागत अभ्यार्थियों को ही अर्ह समझा जाएगा ।''

9. According to the petitioner no.1 he has submitted his from in pursuance of the aforesaid notification for Special B.T.C. as 150 posts were lying vacant in District Haridwar.

10. A counter affidavit has been filed by the State, where he has justified the said advertisement on the basis of the two government orders namely 18th August, 2001 and 05.10.2001.

11. In the G.O. dated 18th August, 2001, it has specifically been mentioned that it is based on the G.O. dated 21st April, 2001. the same is quoted below:-

"विषयः– उत्तरांचल राज्य में स्थित शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की व्यवस्था विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्याम से किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथामिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षित स्नातक योग्यताधारको बी0एड0 एल0टी0 तथा सी0पी0एड0/बी0पी0एड0 योग्यता रखने वाले अभ्यार्थियों को सहायक अध्यापक के रूप में तैनाती किये जाने से पूर्व विशिष्ट बी0टी0सी0 कार्यक्रमों के अन्तर्गत 06 माह का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या 134/मा0सं0वि0/2001 दिनांक 21–4–2001 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपरोक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु सहायक अध्यापाकों को रिक्त

2000 पदों के सपेक्ष चयन, प्रशिक्षिण के वर्षानुक्रम में किया जायेगा अर्थात् चयन प्रशिक्षण वर्ष के क्रम में किया जायेगा एवं पूर्व वर्ष के प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को वरीयता दी जायेगी। किसी एक वर्ष की वरीयता सूची उस वर्ष के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त गुणांको के मैरिट के अनुसार तैयार की जायेगी।

3— विशिष्ट बी0टी0सी0 से सम्बन्धित उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 21—4—2001 के प्रस्तर—6 में अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता के सम्बन्ध में यह उल्लेख किय गया था कि अभ्यर्थि द्वारा स्नातक योग्यता तथा बी0एड0/एल0टी0 /सी0पी0एड0/डी0पी0एड0 /बी0पीएड0 का प्रशिक्षण राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा राज्य सराकर द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संस्थागत छात्र के रूप में उत्तीर्ण किया गया है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गय कि हैः—

(क) बी0पी0/एल0टी0 प्रशिक्षण उत्तरांचल अथवा उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संस्थागत प्रतिक्षणार्थी के रूप में उत्तीर्ण किया गया है।

(ख) उत्तरांचल में कोई प्रशिक्षण संस्था नहीं है अतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थाओं, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हों, से शरिरिक शिक्षा प्रशिक्षण यथा सी0पी0एड0, बी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 प्राप्त अभ्यार्थि ही आवेदन करने हेतु अर्ह समझे जायेंगे।

(ग) उत्तरांचल मूल के अभ्यार्थि ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्याथ्री जिस जनपद का मूल निवासी है केवल उसी जनपद के लिए उसका आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। यदि किसी अभ्यार्थि द्वारा अपने गृह जनपद के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद के लिए भी आवेदक किया जाता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत सभी पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(घ) मूल निवासी प्रमाणपत्र समक्ष प्रधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्स्व मजिस्ट्रेट) द्वारा प्रदत ही मान्य होगा जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

4— इस परिपेक्ष्य में सम्यक् विवादोपरान्त यह भी निर्ण लिया गया कि विशिष्ट बी0टी0सी0 के रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदवार निम्नवत् आबंटन निरिर्धारित किया जायः—

क्र.स.	जनपद का नाम	विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन हेतु निर्धारित पद
1	पौड़ी	250
2	चमोली	200
3	रूद्रप्रयाग	100
4	उत्तरकाशी	50
5	टिहरी	150
6	देहरादून	80
7	हरिद्वार	100
8	नैनीताल	100
9	डधमसिंह नगर	270
10	अल्मोड़ा	250
11	बगेश्वर	230
12	पिथौरागढ़	100
13	चम्पावत	120
	योग	2000

5— इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध कराये गये आवेदक पत्र के प्रारूप एवं विज्ञापन के आधार पर चयन की प्रकिया अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही एवं प्रकरण की प्रगति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।''

12. G.O. dated 21.04.2001 was further explained on the basis of which the Government Order dated 18th August, 2001 was further modified in continuation of the G.O,. dated 21st April, 2001 and it has been clarified that all those candidates, who have completed the B.Ed. course form any recognized education institution on the basis of Patrachar

(correspondence) course or general B.Ed, with the candidate has obtained from any recognized university.

13. It has been held by the Allahabad High Court in ***Ramesh Pratap Singh Vs. State of U.P. and others 1993(2) ALR 88*** that B.T.C. correspondence course should be treated s equivalent to B.T.C. regular course.

14. In view of the above, the respondents are directed to consider the case of the petitioner in accordance with the aforesaid judgment subject to the verification and recognition from the concerned university.

15. With petition is allowed. No order as to costs.

19.06.2006 **(Rajesh Tandon, J.)**

Rathour